भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 415

जिसका उत्तर 22.07.2026 को दिया जाना है

फास्टैग आधारित टोल संग्रहण एवं डिजिटल टोलिंग व्यवस्था

415 # श्री तेजवीर सिंह:

श्री बृज लाल:

श्री लहर सिंह सिरोया:

श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है तथा इसकी अब तक क्या प्रगति रही है;

(ख) फास्टैग से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान करने एवं पारदर्शी टोल संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीपीएस आधारित बैरियर-फ्री टोलिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया है, जो दिनांक 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुआ है । इस योजना के तहत रु-/ 3,075 वर्ष 2026-27 के लिए भुगतान पर वार्षिक पास सक्रिय किया जा सकता है और एक वर्ष के लिए या अधिकतम 200 शुल्क प्लाजाओं (जो भी पहले हो) तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजाओं से यात्रा करने की अनुमति देता है। जून 2026 तक, 77 लाख से अधिक वार्षिक पास जारी किए जा चुके हैं जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजाओं पर 63 करोड़ का लेनदेन दर्ज किया गया है। वर्तमान में, कार/जीप/वैन द्वारा किए गए कुल इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह लेनदेन का लगभग 33% वार्षिक पास लेनदेन है। वार्षिक पास योजना ने परिचालन दक्षता में सुधार किया है और सड़क प्रयोक्ता की सुविधा को बढ़ाया है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की शिकायतें 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 और समर्पित ईमेल falsededuction@ihmcl.com. संबंधित फास्टैग जारीकर्ता बैंक की हेल्पलाइन और राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। ये सभी व्यवस्थाएं प्रभावी, पारदर्शी और सड़क प्रयोक्ता के लिए आसानी से सुलभ हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रह में परिचालन संबंधी अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू की हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत प्रयोक्ता

शुल्क का लगभग 98% से अधिक संग्रह फास्टैग के माध्यम से होता है। सभी फास्टैग लेनदेन एक सुरक्षित प्रणाली में संसाधित होते हैं जिसमें टोल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर, शुल्क प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, केंद्रीय समाशोधन केंद्र (सीसीएच) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीई) और फास्टैग जारीकर्ता बैंक शामिल हैं। लेनदेन एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें काटे गए प्रयोक्ता शुल्क (टोल) की जानकारी राजमार्ग प्रयोक्ता को दी जाती है और इसे एक केंद्रीय संग्रह (रिपोजिटरी) में दर्ज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एटीसी) प्रणाली को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, एनपीसीई और जारीकर्ता बैंक, तीनों हितधारकों की भागीदारी के बिना कोई भी फास्टैग लेनदेन नहीं हो सकता है।

(ग) उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों से बनी सर्वोच्च समिति और उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं, उल्लंघन और समग्र परिचालन नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, जीपीएस-आधारित बाधा-मुक्त टोलिंग प्रणाली के लिए आगे विचार-विमर्श की सिफारिश की है। हालांकि, टोल संचालन को बेहतर बनाने और वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयास में, सरकार ने एआई एनालिटिक्स और आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग) के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) के माध्यम से मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफ) को लागू करने का निर्णय लिया है, जो बाधा-रहित टोलिंग को सुगम बनाता है, जहाँ वाहन प्रयोक्ता से बिना रुके, गति धीमी किए या किसी निश्चित लेन में बने रहे बिना प्रयोक्ता शुल्क वसूला जाएगा। मौजूदा फास्टैग (आरएफआईडी)+एएनपीआर/एआई तकनीक का उपयोग करके मल्टी-लेन फ्री फ्लो आधारित बाधा-रहित टोलिंग को अनुलग्नक क के अनुसार 17 शुल्क प्लाजाओं पर आवंटित किया गया है। आवंटित 17 शुल्क प्लाजा में से 5 शुल्क प्लाजा पहले ही चालू हो चुके हैं, अर्थात कि चोर्यासी शुल्क प्लाजा (सूरत, गुजरात); मुंडका शुल्क प्लाजा (दिल्ली); घरौंदा शुल्क प्लाजा (हरियाणा); मनोहरपुरा शुल्क प्लाजा (राजस्थान); दौलतपुरा शुल्क प्लाजा (राजस्थान)। इसके अतिरिक्त, अनुलग्नक ख के अनुसार अतिरिक्त 104 शुल्क प्लाजा के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

अनुलग्नक क

"फास्टैग आधारित टोल संग्रह और डिजिटल टोलिंग प्रणाली" के संबंध में श्री तेजवीर सिंह, श्री बृज लाल, श्री लहर सिंह सिरोया, श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 415 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित।

उन शुल्क प्लाज़ाओं का विवरण जिनके लिए बाधा रहित टोल प्रणाली लागू करने हेतु अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) किया जा चुका है:

क्रमांक	**शुल्क प्लाजा**	**एनएच/ राज्य**
1.	चोर्यासी	गुजरात में एनएच-48
2.	मुंडका	दिल्ली में यूईआर-II
3.	दौलतपुरा	राजस्थान में एनएच-48
4.	मनोहरपुरा	राजस्थान में एनएच-48
5.	शाहजहांपुर	राजस्थान में एनएच-48
6.	घरौंडा	हरियाणा में एनएच-44
7.	नेमिली / श्री पेरुम्बादुर	तमिलनाडु में एनएच-48
8.	चेन्नासमादुरम	तमिलनाडु में एनएच-48
9.	परानुर	तमिलनाडु में एनएच-45
10.	कासेपल्ली	आंध्र प्रदेश में एनएच-44
11।	अमाकथाडु	आंध्र प्रदेश में एनएच-44
12.	मारूर	आंध्र प्रदेश में एनएच-44
13.	चालकवाड़ी	महाराष्ट्र में एनएच-50
14.	हिवारगाँव पावसा	महाराष्ट्र में एनएच-50
15.	बदरपुर फरीदाबाद	हरियाणा में एनएच-19
16.	बोराइच	गुजरात में एनएच-48
17.	मदनपुर	असम में एनएच-31

अनुलग्नक ख

"फास्टैग आधारित टोल संग्रह और डिजिटल टोलिंग प्रणाली" के संबंध में श्री तेजवीर सिंह, श्री बृज लाल, श्री लहर सिंह सिरोया, श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 415 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित।

उन शुल्क प्लाजाों का विवरण जिनके लिए बाधा रहित टोल प्रणाली लागू करने हेतु के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए आमंत्रित किए जा चुके हैं:

क्रमांक	शुल्क प्लाजा का नाम	एनएच संख्या
1.	सिरोही बहाली	148बी
2.	कथुवास	11
3.	घमरोज सोहना रोड	248ए
4.	किरंज	148एन ए
5.	भनेडा	34
6.	छोटा मवाना	34
7.	मुजेरा	709 एडी
8.	चंदलाना	152डी
9.	मोहना	152डी
10.	खेरी शरफ अली	152डी
11.	बाहरी	152डी
12.	अमरावली खेड़ा	152डी
13.	किलाज़ाफ़रगढ़	152डी
14.	बैंसी	152डी
15.	खरखरा	152डी
16.	खेरारी	152डी
17.	दादरी	152डी
18.	बुचावास	152डी
19.	भालखी	152डी
20.	जाट गुवाना	152डी
21.	पबनावा	152डी
22.	जामनी एनएच 152डी	152डी
23.	चबरी	152डी
24.	कुराना	334
25.	जीवना	709बी
26.	तामसाबाद	709 एडी
27.	पटनीप्रतापुर	709एए
28.	भुनी	709ए
29.	जगहेरी	709 एडी
30.	दाभेदी	709बी

31.	सिवाय	334
32.	डाकन कटेडा	48
33.	जसवंतगढ़ (गोगुंडा)	27
34.	मलेरा	27
35.	किशोरपुरा	52
36.	बीरमंडी	52
37.	मंदाना	52
38.	बिरतिया कलां	25
39.	बिनावास	25
40.	डांगियावास	125ए
41.	मनकलाओ-टीपी-02	125ए
42.	टैंकला	62
43.	नेत्रा	62
44.	हिंगोनिया	148सी
45.	सीतारामपुरा	148सी
46.	किशनगढ़	48
47.	थिकारिया	48
48.	तातियावास	52
49.	अखेपुरा	52
50.	थिरपाली बाड़ी	709 एक्सटेंशन.
51.	टिटोली	11ए एक्सटेंशन.
52.	रबावाटा	11ए एक्सटेंशन.
53.	पिपिली	316
54.	पुडापाड़ा और निलडुंगरी	53
55.	डाकुआमुंडा	55
56.	हातिबारी	55
57.	झरपोखरिया	49
58.	पद्मनावपुर	18
59.	सुखुआपाड़ा	18
60.	खैरामुंडा	53
61.	हसनपुर (सैंकुल)	20
62.	खंताघर (ढैंकीकोट)	20
63.	बनाजोड़ी (पद्मपुर)	20
64.	खिरेतांगिरी	49
65.	जनसनपुर	49
66.	कंद्रा	520
67.	दारजिंग	143
68.	जमुदिही	520
69.	बलानी	143
70.	भरथना	48
71.	मांडवा	48

72.	भदभिद	751
73.	कोबादी	51
74.	रोहिसा	51
75.	नागेश्री	51
76.	वेल्वा	51
77.	सुंदरपारा	51
78.	पिथाई	47
79.	वावदिखुर्द	47
80.	वांताडा	48
81.	काठपुर	48
82.	भगवाड़ा	48
83.	भारुडी	27
84.	पिथड़िया	27
85.	कुचाड़ी	51
86.	ओखामधी	51
87.	धरमपुर-दंता	151ए
88.	गदोई	151
89.	दारी	151
90.	गोरसर	51
91.	ताराना	151ए
92.	वर्षामेदी	341
93.	कुकमा	341
94.	पंथंगी	65
95.	कोरलाफाडु	65
96.	चिलाकल्लू	65
97.	कोमातिपल्ली	163
98.	कोमाला	163
99.	पैनाम्पल्ली	365ए
100.	सिंगारेनिपल्ली	365बीबी
101.	मंडामार्री	363
102.	सैरैंडी	363
103.	तड्डनपल्ली	161
104.	धर्मारम	161
